Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बून्दी में कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी एवं संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर 35,000/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनाक 31.07.2025 गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई बून्दी द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी को आरोपी शिव महेश योगी हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के माध्यम से परिवादी से भारतमाला सडक परियोजना में आवाप्तशुदा स्वयं की जमीन का मुआवजा प्राप्त करने हेतु दावा उपखण्ड कार्यालय लाखेरी में किया गया था, उक्त बाद का निर्णय परिवादी के पक्ष में करवाने की एवज में **35,000/— रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बून्दी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी द्वारा परिवादी से भारतमाला सडक परियोजना में आवाप्तशुदा स्वयं की जमीन का मुआवजा प्राप्त करने हेतु दावा उपखण्ड कार्यालय लाखेरी में किया गया था, उक्त वाद का निर्णय परिवादी के पक्ष में करवाने की एवज में 50,000/— रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर ए.सी.बी. कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. बून्दी के **उप पुलिस अधीक्षक श्री हरीश भारती** के नेतृत्व में आज मय ट्रेप टीम, **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द, सहायक उप निरीक्षक श्री इस्माईल अंसारी** एवं टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी शिव महेश योगी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के माध्यम से परिवादी से 35,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।